

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र : दिल्ली सरकार : दिल्ली जल बोर्ड  
कार्यालय प्रथम अपीलीय अधिकारी : (आर0टी0आई) : निदेशक (राजस्व)  
कमरा न0 512 : वरुणालय फेज - II : करोल बाग नई दिल्ली -110005  
इस आदेश के अवलोनार्थ दिल्ली जल बोर्ड की वेबसाईट

[www.delhijalboard.nic.in](http://www.delhijalboard.nic.in)

कमांक: दि0ज0बो0/प्र0अ0अ0(आर0टी0आई)अपील न0 1495/2015/ दिनांक: 23.12.2015

श्री तरसीम चौधरी,  
413/22-ए, लीला राम मार्किट,  
मस्जिद मोड़, साउथ एक्स-11,  
नई दिल्ली-110049.

संयुक्त निदेशक (राजस्व) द0/द0प0

### आदेश

इस आदेश द्वारा श्री तरसीम चौधरी, के द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (1) के अधीन प्रस्तुत अपील दिनांक 12-10-2015 का निपटान किया गया।

दिनांक 23.12.2015 को अपील की सुनवाई की गई। नियत समयानुसार अपीलकर्ता श्री तरसीम चौधरी, उपस्थित हुए एवं श्री सुरेश, मुख्य लिपिक द्वारा क्षेत्रीय राजस्व अधिकारी (द0प0)-III, आर0 के0 पुरम. जनसूचना अधिकारी के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित हुए।

प्रस्तुत अपील से पहले दिनांक 27.08.2015 को अपीलकर्ता ने जनसूचना अधिकारी के कार्यालय में एक प्रार्थनापत्र दिया था, जिस पर कोई कार्यवाही नहीं होने के कारण यह अपील दिनांक 12-10-2015 को दायर की।

आर0 टी0 आई0 की अपील का अवलोकन करने से जाहिर होता है कि सहायक जनसूचना अधिकारी / जनसूचना अधिकारी ने आर0 टी0 आई0 के प्रार्थनापत्र का उत्तर दे दिया है किन्तु अपीलकर्ता ने बताया कि सहायक जनसूचना अधिकारी ने प्रश्न संख्या 4, 6, 7, 8, 12, 13, 14 व 15 के उत्तर गलत दिए हैं। मुख्य लिपिक ने बताया कि इन प्रश्नों के उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय में उपलब्ध नहीं हैं। अतः सहायक जनसूचना अधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि टी0 सी0 एस0 से सूचना प्राप्त करके उत्तर इस आदेश के पारित होने के दस दिन के अन्दर अपीलकर्ता को प्रदान किया जाए और उनकी शिकायत को दूर करने का प्रयत्न करें।

उपरोक्तानुसार अपील का निपटान किया गया।


यदि अपीलकर्ता प्रथम सूचना अधिकारी के आदेश अथवा प्रथम सूचना अधिकारी के आदेश पारित करने के उपरान्त जनसूचना अधिकारी के द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना से सन्तुष्ट नहीं हैं तो अपीलकर्ता द्वितीय सूचना अधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग के समक्ष निम्नलिखित पते पर अपनी अपील पुनः कर सकता है :-

केन्द्रीय सूचना आयोग,  
द्वितीय तल, बी-विंग,  
अगस्त कान्ति भवन,  
भीकाजी कामा प्लेस,  
नई दिल्ली- 110066

ह0/-  
निधि श्रीवास्तव  
प्रथम अपीलीय अधिकारी

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. श्री तरसीम चौधरी, 413/22-ए, लीला राम मार्किट, मस्जिद मोड़, साउथ एक्स-11, नई दिल्ली-110049.
2. संयुक्त निदेशक (राजस्व) द0/द0प0।
3. क्षेत्रीय राजस्व अधिकारी (द0प0)-III, आर0 के0 पुरम।
4. अधिशासी अभियन्ता (ई0डी0पी0), को दिल्ली जल बोर्ड की वेबसाईट पर इस आदेश को डालने हेतु।



Shri Jagan  
Prank

Nidhi  
प्रथम अपीलीय अधिकारी